



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 472]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 10, शक 1943

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2021

क्र. एफ-1-32-1999-ब-2-दो.— पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियम में, विनियम 12 में, अनुक्रमांक 14 और 15 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	जोन एवं रेंज का नाम तथा मुख्यालय	जोन एवं रेंज में सम्मिलित जिले
(1)	(2)	(3)
“14.	शहडोल जोन एवं रेंज, मुख्यालय, शहडोल	1. शहडोल 2. उमरिया 3. अनूपपुर
15.	बालाघाट जोन एवं रेंज, मुख्यालय बालाघाट	1. बालाघाट 2. मण्डला 3. डिण्डौरी.”

No.F-1-32-1999-B-2-Two:- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of Section 46 read with Section 2 of the Police Act, 1861 (No. 5 of 1861), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Police Regulation, namely :-

AMENDMENT

In the said Regulation, In Regulation 12, for serial number 14 and 15 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	Name and Headquarters of the Zone & Range	Districts included in the Zone & Range
(1)	(2)	(3)
“14.	Shahdol Zone & Range, Headquarter Shahdol.	1. Shahdol 2. Umaria 3. Anuppur
15.	Balaghat Zone & Range, Headquarter Balaghat.	1. Balaghat 2. Mandla 3. Dindori.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, सचिव.